साक्षर भारत

कानूनी साक्षरता श्रृंखला - 6

आशा की किरण

(घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005)

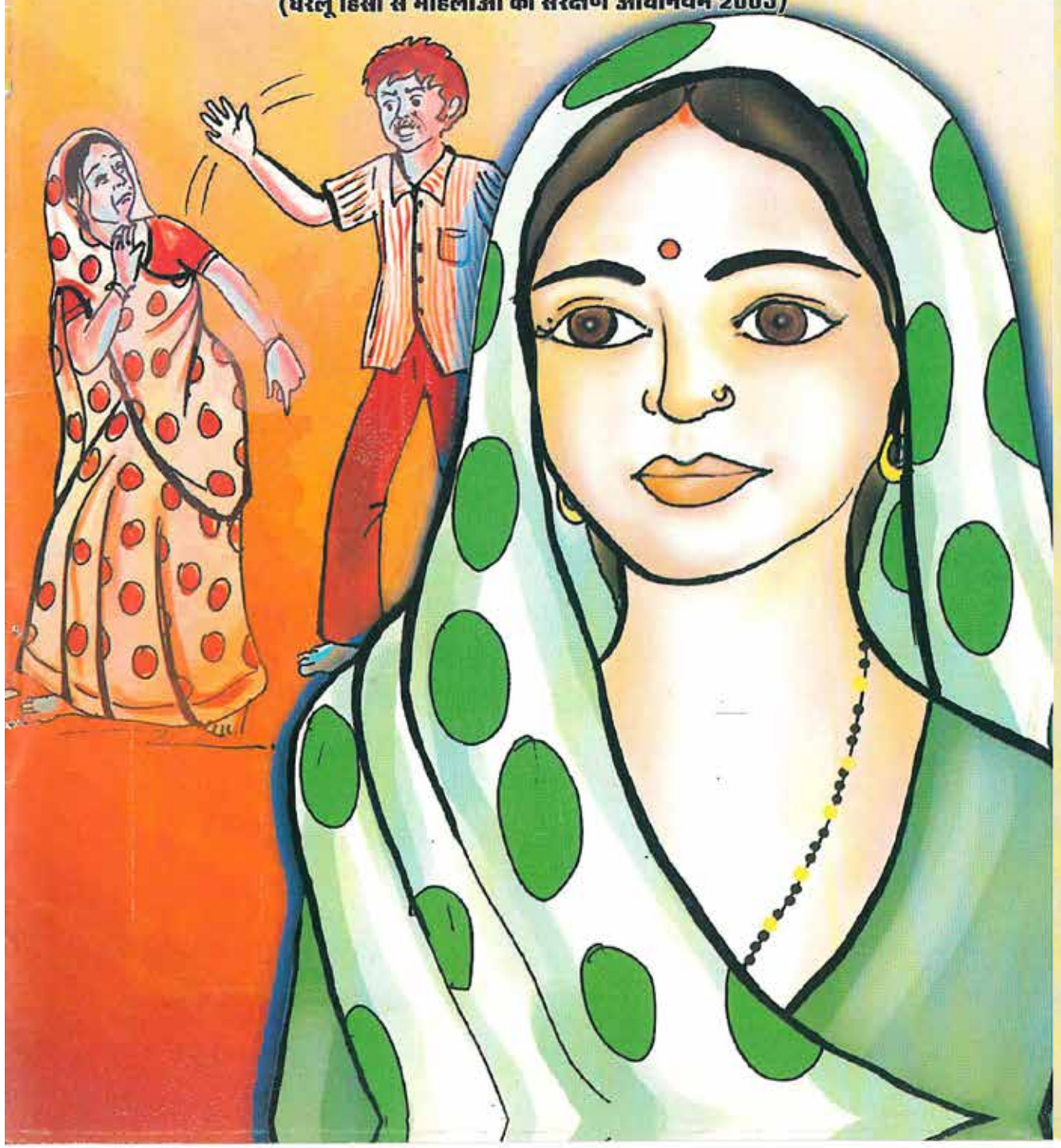

आभार

साक्षर भारत कार्यक्रम सितम्बर 2009 में प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत देश के निम्न महिला साक्षरता दर वाले 410 जिलों को सम्मिलित किया गया है। साक्षर भारत कार्यक्रम का केन्द्र बिन्दु ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग व अल्पसंख्यक समुदाय है। कार्यक्रम में बुनियादी साक्षरता के साथ-साथ समतुल्यता कार्यक्रम, कौशल विकास व सतत् शिक्षा को भी जोड़ा गया है।

साक्षरता को शिक्षार्थियों/लाभार्थियों के दैनिक जीवन से अधिक जुड़ा हुआ व रोचक बनाने के उद्देश्य से इन्टरपर्सनल मीडिया कैम्पेन प्रारंभ किया गया है। कैम्पेन में जिन प्रमुख विषयों पर बल दिया जा रहा है उनमें कानूनी साक्षरता भी एक प्रमुख विषय है।

कानूनी साक्षरता की जानकारी सहज रूप में जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कानूनी साक्षरता श्रृंखला का निर्माण किया गया है। कानूनी साक्षरता सामग्री का निर्माण राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा आयोजित कार्यशाला में राज्य संसाधन केन्द्र, इंदौर, भोपाल, रांची, पलामू के साथियों द्वारा विषय विशेषज्ञों तथा प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के मार्गदर्शन में किया गया है।

कानूनी साक्षरता सामग्री के निर्माण में न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार व यूएनडीपी के A2J प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट टीम द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया व सामग्री का अनुमोदन न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण सभी सहयोगी संस्थाओं/विभागों के प्रति आभार व्यक्त करता है। आशा है कि यह सामग्री कानूनी साक्षरता के प्रति जन सामान्य में कानूनी जागरूकता लाने में उपयोगी सिद्ध होगी।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

घरेलू हिंसा से संरक्षण 2005

आशा की किरण

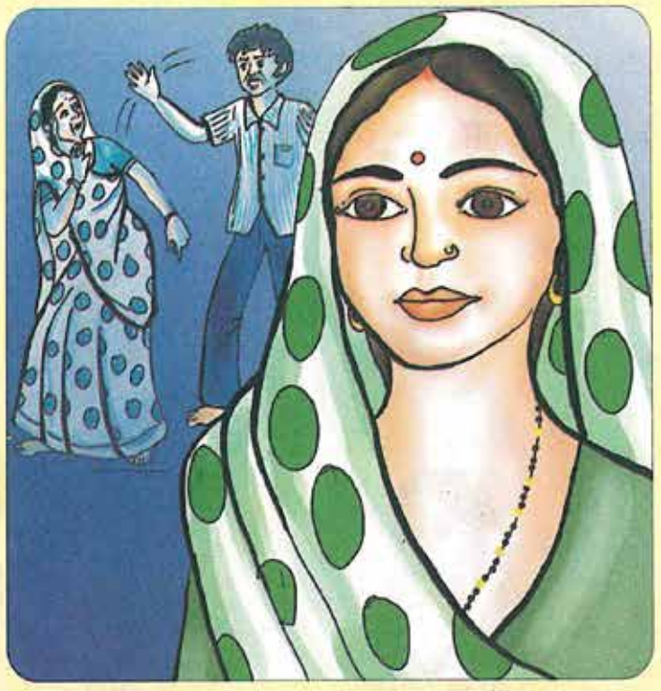

साक्षर भारत

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

आशा की किरण

माया अपनी छोटी बेटी सीमा को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। सीमा ने स्कूल की फीस जमा करने के लिए पैसे मांगे। माया पति के पास गई। उनसे फीस के लिए पैसे मांगे। इस पर पति का पारा चढ़ गया। वह जोर-जोर से माया पर चिल्लाने लगा- "पैसे क्या पेड़ पर लगे होते हैं, जो मैं तुझे तोड़कर दे दूं। इसे इतना पढ़ाकर

कौन-से झण्डे गाड़ने हैं? इसे घर-गृहस्थी का काम सिखा। वही इसके काम आएगा। मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं बर्बाद करने के लिए। जा, जाकर मेरा नाश्ता बना।''

दो दिन बाद फिर माया ने राशन के लिए पैसे मांगे। पति कहने लगा, ''हर वक्त पैसे ही मांगती रहती है। कितने पैसे खर्च करती है। अभी कुछ समय पहले ही तो दिए थे। सारे खर्च कर दिए। तेरे मां-बाप ने रुपयों का झाड़ नहीं दिया है मुझे, जो रोज तुझे निकाल-निकाल कर दूं। न जाने किन कंगालों से मेरा पाला पड़ गया।

माया को अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए पति के आगे हाथ फैलाने पड़ते। पति हर वक्त माया का अपमान करता। उसे जली-कटी बातें सुनाता। उसके गरीब मां-बाप को कोसता रहता।

एक दिन तो अति हो गयी। रात को उसका पति शराब पीकर घर आया। माया ने खाना लगाया। खाना देखकर पति जोर से चीखा- ''यह कैसा घास-फूस वाला खाना बनाया है? मैं तुझे इतने पैसे देता हूं और तू मुझे ऐसा खाना खिलाती है ?''

उसने खाने की थाली उठाकर फेंक दी। सारा खाना माया के ऊपर गिर गया। थाली उसके मुंह पर लगी। माथे से खून बहने लगा। पति ने नशे में उसके बाल पकड़कर लात और घूंसों से खूब पिटाई की। उसे घर से बाहर निकाल दिया।

माया बाहर खड़ी मिन्नतें करती रही। पति ने दरवाजा नहीं खोला। बोला- "चली जा, आज से तेरा इस घर से कोई नाता नहीं।" माया को ऐसी हालत में देखकर पड़ोस में रहने वाली गीता उसे अपने घर ले गई। उसकी मरहम-पट्टी की और कहा-

"तुम कितना सहती हो? क्या सारा जीवन इसी तरह पिट-पिटकर गुजार दोगी?"

माया बोली- "मेरे नसीब में यही लिखा है। मैं दिनभर घर के कामों में लगी रहती हूं, मगर वह मुझे सिर्फ अपना गुलाम समझता है। उसके लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चों को स्कूल भेजना, उसकी जरूरतों का ख्याल रखना, यही मेरा काम है।"

गीता ने कहा- "नहीं, ऐसा नहीं है। कल मैं आंगनवाड़ी की मीटिंग में गई थी। वहां एक मैडम आई थीं। उन्होंने बताया

कि महिलाओं के लिए एक कानून बना है। यह कानून है- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। हम इस कानून की मदद लेंगे।"

दूसरे दिन सुबह गीता, माया को एक अधिकारी के पास ले गई। ये प्रोटेक्शन अधिकारी के नाम से सभी जगह जाने जाते हैं। माया ने उन्हें अपनी सारी आप बीती सुनाई। प्रोटेक्शन अधिकारी ने उसकी पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी। अधिकारी मैडम ने उसे समझाया- "यह कानून आप जैसी सताई हुई महिलाओं की रक्षा के लिए ही बना है। इसमें आपके पति को बुलाकर समझाया जाएगा। अगर वह समझाने से नहीं समझेंगे, तो फिर तुम केस दायर कर सकती हो। हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे।"

मैडम ने माया को एक फार्म दिया, जिसे डी.आई.आर.

(डोमेस्टिक इंसिडेण्ट रिपोर्ट) कहते हैं। इस फार्म में महिलाओं के साथ जिस तरह की भी हिंसा हो रही है, उसका विवरण दिया जाता है। फार्म में पीड़ित महिला को अपने साथ हुई हिंसा के बारे में बताना होता है। अगर वह पढ़ी-लिखी नहीं है तो प्रोटेक्शन अधिकारी स्वयं उसको पढ़कर सुनाती है, ताकि वह बता सके कि उसके साथ कौन-सी हिंसा हुई है।

इस तरह से माया का डी.आई.आर. फार्म भरा गया, फिर उसके पति को सुलह के लिए बुलाया गया।

यह कानून घर जोड़ने वाला कानून है, न कि घर तोड़ने वाला।

घरेलू हिंसा से संरक्षण 2005

महिलाओं के साथ हो रही पारिवारिक हिंसा को रोकने के लिए 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून बनाया गया है।

यह एक दीवानी कानून है, जो पत्नी, मां, बहन, बेटी, अकेली महिला इत्यादि घरेलू रिश्तों से जुड़ी औरतों पर हो रही शारीरिक, मानसिक, लैंगिक और आर्थिक प्रताड़ना से उनकी रक्षा करता है।

इस कानून के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं-

1. इस कानून के तहत घरेलू रिश्तों में किसी भी महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा, हित, जीवन, शारीरिक अंगों को चोट पहुंचाना या उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना अपराध है।
2. इस कानून के तहत दहेज या संपत्ति की मांग करना भी अपराध है।
3. महिला को एक छत के नीचे रहने वाला कोई भी रिश्तेदार जैसे- पिता, भाई, ससुर, सास, पति, ननद सताए तो यह अपराध माना जाएगा।
4. घरेलू कार्यों में रुकावट डालना, बच्चों एवं महिला को खर्च के लिए पैसे न देना, आमदनी या संपत्ति छीन लेना भी अपराध है।

5. इस कानून के तहत हर जिले में प्रोटेक्शन अधिकारी यानि सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
6. पीड़ित महिला सुरक्षा अधिकारी के पास शिकायत कर सकती है। शिकायत करने के 3 दिन में ही मजिस्ट्रेट सुनवाई की तारीख तय करते हैं। मुकदमे का फैसला भी शीघ्र देते हैं।
7. सुरक्षा अधिकारी का कर्त्तव्य है कि
   - वह पीड़ित महिला की मदद करे।
   - पुलिस से मदद लेनी हो तो महिला को सहायता दिलवाए।
   - आर्थिक सहायता देना हो तो उसे महिला को दिलवाने में मदद करे।

घरेलू हिंसा के खिलाफ महिला को निम्न राहत और आदेश पाने का अधिकार है :-

1. सुरक्षा का आदेश पाकर पुलिस हिंसा करने वालों पर रोक लगा सकती है।
2. पुलिस गंभीर घटना में हिंसा करने वाले को घर में आने से रोक सकती है।
3. आर्थिक हिंसा के तहत पीड़िता आजीविका, शारीरिक, मानसिक और संपत्ति में हुए घाटे का मुआवजा, इलाज का खर्च और प्रतिमाह खर्च की मांग कर सकती है।

4. 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अपनी सुरक्षा में रखने का अधिकार पा सकती है।
5. महिला उसके घर में जाने की मांग कर सकती है।
6. महिला हिंसा करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने की भी मांग कर सकती है।
7. पीड़ित महिला और हिंसा करने वाले की आपसी सुलह कराई जा सकती है।
8. अदालत के आदेश को न मानने पर 1 साल की कैद या 20,000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।

प्रारूप-1

(नियम 5 (1) और (2) तथा नियम 17 (3) देखें)

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 की 43) धारा 9 (ख) और धारा 37 (2) (ग) के अधीन घरेलू घटना की रिपोर्ट

1. परिवादी/व्यथित व्यक्ति के ब्यौरे :

(1) परिवादी/व्यथित व्यक्ति का नाम :

(2) आयु :

(3) साझी गृहस्थी का पता :

(4) वर्तमान पता :

(5) दूरभाष नं. यदि कोई हो :

2. प्रत्यार्थियों के ब्यौरे :

क्रम सं.	व्यथित व्यक्ति के साथ नातेदारी	पता	दूरभाष नं. यदि कोई हो

3. व्यथित व्यक्ति की संतानों के ब्यौरे यदि कोई हों

(क) संतानों की संख्या :

(ख) संतानों के ब्यौरे :

नाम	आयु	लिंग	वर्तमान में किसके साथ निवास कर रहे हैं।

4. घरेलू हिंसा की घटनाएं :

क्रम सं.	हिंसा की तारीख, स्थान, और समय	वह व्यक्ति जिसने घरेलू हिंसा कारित की	घटना का प्रकार शारीरिक हिंसा किस प्रकार की उपहति कारित की गई है कृपया विनिर्दिष्ट करें।	टिप्पणियां

(i) लैंगिक हिंसा
कृपया लागू होने वाले स्तंभ के सामने (✓) चिन्हित करें
बलपूर्वक मैथुन
अश्लील साहित्य या अन्य अश्लील सामग्री देखने के लिए मजबूर करना।
आपका अन्य व्यक्तियों के मनोरंजन के लिए उपयोग करना।
लैंगिक प्रकृति का दुर्व्यवहार, अपमानजनक, तिरस्कारपूर्ण या आपकी गरिमा का अतिक्रमण करने वाला कोई अन्य कार्य करना।
(कृपया नीचे दिए गए खाली स्थानों में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)
(ii) मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार
चरित्र या आचरण आदि पर अभियोग/ कलंक लगाना।
दहेज आदि न लाने हेतु अपमान करना।
पुरुष संतान न होने के लिए अपमान करना।
कोई संतान न होने के लिए अपमान करना।
अप्रतिष्ठित, अपमानजनक या क्षतिकारक टिप्पणियां/कथन कहना।
उपहास करना।
निंदा करना।
आपको विद्यालय, महाविद्यालय या किसी अन्य शैक्षिक स्थान में न जाने पर बल देना।
आपको नौकरी करने से रोकना।
घर के बाहर जाने से रोकना।
किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिलने

से निवारित करना।
अपनी इच्छा के विरूद्ध विवाह
करने पर बल देना।
अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह
करने से निवारित करना।
आपको उसकी/उनकी पसंद के व्यक्ति
से विवाह करने पर बल देना।
कोई अन्य मौखिक या भावनात्मक
दुर्व्यवहार करना।
(कृपया नीचे दिए गए स्थान में
विनिर्दिष्ट करें)

(iii) आर्थिक बल प्रयोग

आपको या आपकी संतानों को
भरण-पोषण के लिए धन न देना।
आपको या आपकी संतानों को खाना,
कपड़े, दवाइयां आदि उपलब्ध न करवाना।
घर के बाहर रहने के लिए मजबूर करना।
आपको घर के किसी भाग में घुसने या
उसका उपयोग करने से रोका जाना।
आपको आपकी नौकरी करने से निवारित
किया जा रहा है या उसमें बाधा डाली
जा रही है।
नौकरी करने की अनुज्ञा न देना।
भाड़े पर ली गई वास-सुविधा की दशा
में भाड़ा न देना।
कपड़ों या साधारण घर-गृहस्थी के उपयोग
की वस्तुओं के उपयोग की अनुज्ञा न देना।

आपको सूचित किए बिना और आपकी
सहमति के बिना स्त्रीधन या अन्य मूल्यवान
वस्तुओं को बेच देना या बंधक रख देना।
आपका वेतन, आय, या मजदूरी आदि
बलपूर्वक ले लेना।
स्त्रीधन का व्यय करना।
बिजली आदि जैसे अन्य बिलों का भुगतान
न करना।
कोई अन्य आर्थिक बल प्रयोग।
(कृपया नीचे दिए गए स्थान में
विनिर्दिष्ट करें)

(iv) दहेज संबंधी उत्पीड़न

दहेज के लिए की गई मांग, कृपया
विनिर्दिष्ट करें :
दहेज से संबंधित कोई अन्य ब्यौरा,
कृपया विनिर्दिष्ट करें।
क्या दहेज की मदें, स्त्रीधन आदि के
ब्यौरे प्रारूप के साथ संलग्न हैं।
हां
नहीं

(v) आपके या आपकी संतानों के विरूद्ध घरेलू हिंसा से संबंधित कोई अन्य सूचना।

5. संलग्न दस्तावेजों की सूची :

दस्तावेज का नाम	तारीख	कोई अन्य ब्यौरा
चिकित्सा विधिक प्रमाण-पत्र		
चिकित्सक प्रमाण-पत्र या कोई अन्य नुस्खा		
स्त्रीधन की सूची		
कोई अन्य दस्तावेज।		

6. वह आदेश, जिसकी घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन आपको आवश्यकता है :

क्रम सं.	आदेश	हां/नहीं	कोई अन्य
(1)	धारा 18 के अधीन संरक्षण आदेश		
(2)	धारा 19 के अधीन निवास आदेश		
(3)	धारा 20 के अधीन भरण-पोषण का आदेश		
(4)	धारा 21 के अधीन अभिरक्षा आदेश		
(5)	धारा 22 के अधीन प्रतिकर का आदेश		
(6)	कोई अन्य आदेश (विनिर्दिष्ट करें)		

7. ऐसी सहायता, जिसकी आपको आवश्यकता हो :

क्रम सं.	उपलभ्य सहायता	हां/नहीं	सहायता की प्रकृति
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	परामर्शदाता		
(2)	पुलिस सहायता		
(3)	दांडिक कार्यवाहियां प्रारंभ करने के लिए सहायता		
(4)	आश्रय गृह		
(5)	चिकित्सा सुविधाएं		
(6)	विधिक सहायता		

8. किसी घरेलू घटना की रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण में सहायता करने वाले पुलिस अधिकारी के लिए अनुदेश :

जहां कहीं इस प्रारूप में उपलब्ध करवाई गई सूचना से भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य विधि के अधीन किया गया कोई अपराध प्रकट होता है वहां पुलिस अधिकारी-

(क) व्यथित व्यक्ति को सूचित करेगा कि वह भी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करके दांडिक कार्यवाहियां प्रारंभ कर सकती है,

(ख) यदि व्यथित व्यक्ति दांडिक कार्यवाहियां प्रारंभ करना नहीं चाहती है तो घरेलू हिंसा रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सूचना के अनुसार इस टिप्पणी के साथ दैनिक डायरी प्रविष्ट करेगा कि व्यथित व्यक्ति, अभियुक्त के साथ घनिष्ठ प्रकृति के संबंध में होने के कारण घरेलू हिंसा के विरूद्ध संरक्षण के लिए सिविल उपाय जारी रखना चाहती है और उसने यह अनुरोध किया है कि उसके द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर मामले को, किसी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के पूर्व समुचित जांच के लिए लंबित रखा जाए।

(ग) यदि व्यक्ति द्वारा किसी शारीरिक उपहति या पीड़ा की सूचना दी गई है तो उसे तुरंत चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी और व्यक्ति की चिकित्सकीय जांच की जाएगी।

स्थान :

तारीख :

(अभियोजन अधिकारी/सेवा प्रदाता के प्रति हस्ताक्षर)

नाम :

पता :

(मुद्रा)

निम्नलिखित को प्रति अग्रेषित की गई:-

1. स्थानीय पुलिस थाना
2. सेवा प्रदाता/अभियोजन अधिकारी
3. व्यथित व्यक्ति
4. मजिस्ट्रेट

कानूनी साक्षरता शृंखला पुस्तिकाएं

शीर्षक	शृंखला क्रमांक
◆ **आंखे खुल गईं** (भारतीय नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य)	1
◆ **और बात बन गई** (गर्भधारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम 1994 व संशोधित 2003)	2
◆ **रमा की पाठशाला** (शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009)	3
◆ **गरिमा का सवाल** (यौन हिंसा के विरुद्ध कानून 2013)	4
◆ **दहेज परंपरा नहीं अभिशाप** (दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961)	5
◆ **आशा की किरण** (घरेलू हिंसा से संरक्षण 2005)	6
◆ **अब कोई भूखा न रहे** (खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013)	7
◆ **अत्याचार का अंत** (अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989)	8
◆ **रमेश को मिला न्याय** (नि:शुल्क विधिक सहायता)	9
◆ **हमारे जंगल - हमारी धरोहर** (अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008)	10
◆ **यूं बनी सड़क** (भू-अधिग्रहण कानून 2013)	11
◆ **भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं**	12

साक्षर भारत

राज्य संदर्भ केंद्र

राजस्थान प्रौढ़ शिक्षण समिति

7-ए, झालाना संस्थान क्षेत्र, जयपुर-302004

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

भारत सरकार, नई दिल्ली 110001

वेबसाइट : www.mhrd.gov.in, www.Mygov.in